कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 1657/11–सी–FP/UP/Trans/24154/2017, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 20,2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–मीरजापुर में उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 जिगना दादर कला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/04/50/2017/एफ0सी0/668, दिनाँक–07.12.2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–भा0स0–308/14–2–2017–800(83)/2017, दिनांक–13.12.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में वांछित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मिरजापुर ने अपने पत्रांक–2650/मीरजापुर/33, दिनाँक–18.12.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख की दो मूल प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ को संदर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– FP/UP/Trans/24154/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, पथरहिया रोड, मीरजापुर।

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1627